भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 541

23 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

तमिलनाडु में पीडीएस

541. श्री थरानिर्वेथन एम. एस.:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अरानी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वर्तमान में शामिल लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए गए खाद्यान्न की मात्रा कितनी है:

(ग) क्या सरकार ने उचित वितरण सुनिश्चित करने और कदाचार को रोकने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-पीडीएस अथवा ऑनलाइन निगरानी प्रणाली जैसे प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों को कार्यान्वित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे का विस्तार कर उसमें पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे श्रीअन्न, सब्जियां या फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ शामिल करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किन्हीं सुधारों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, तमिलनाडु राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत लगभग 62.55% ग्रामीण और 37.79% शहरी आबादी को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कवरेज प्रदान करता है, जो जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 364.69 लाख व्यक्ति हैं। वर्तमान में, 364.69 लाख व्यक्तियों की अभीष्ट कवरेज के प्रति, राज्य सरकार ने अरानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु में 364.12 लाख लाभार्थियों की पहचान की है।

...2/-

(ख): अरानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु में पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में क्रमशः लगभग 23.41 लाख टन, 23.36 लाख टन और 23.35 लाख टन खाद्यान्न वितरित किया गया है।

(ग): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) सुधारों के अंतर्गत, खाद्यान्न वितरण की बेहतर निगरानी हेतु, लगभग सभी उचित दर दुकानों (एफपीएस) को ई-पीओएस उपकरण संस्थापित कर स्वचालित किया गया है ताकि पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) से खाद्यान्न वितरण किया जा सके। लीकेज को रोकने और पीडीएस प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाता है।

(घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, "खाद्यान्न" शब्द को चावल, गेहूं या मोटे अनाज या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर, आदेश द्वारा, निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप इनके किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, श्री अन्न पहले से ही पीडीएस का भाग है। वर्तमान में, इस अधिनियम के तहत और अधिक जिन्सों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पोषण के स्तर में सुधार करने हेतु श्री अन्न की खरीद करने और स्थानीय उपभोग की प्राथमिकताओं के अनुसार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को वितरित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक परामर्शिका जारी की गई है।

(ड.): प्रौद्योगिकी-संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) सुधारों के भाग के रूप में, टीपीडीएस में पारदर्शिता बढ़ाने और दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस का पूर्णतः डिजिटीकृत (100%) कर दिया गया है। पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है। साथ ही, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुद्दुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्र को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण स्कीम को अपनाया है) में आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

*****